सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 15 चैत्र, 1945 (श०) / 05 अप्रील, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	पथ निर्माण विभाग	-	-	01
(2)	पंचायती राज विभाग	-	-	02
			कुल योग --	03

पुल का निर्माण

92. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहटा-दनियावाँ एस0एच0 पर निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के दो स्पैन टूटकर नीचे गिरे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के सरमेरा बिहटा, एच0एच0 78 के दनियावाँ-बिहटा खंड पर नौबतपुर में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर का दो स्पैन टूटकर गिर गया है । इस पुल का निर्माण जून, 2019 में पूरा करना था, लेकिन आजतक उक्त पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि उक्त पुल में घटिया गुणवत्ता वाले सामग्री एवं प्राक्कलन के अनुसार सामग्री का निर्माण नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराते हुये संवेदक पर कार्रवाई एवं प्राक्कलन के अनुसार ससमय उक्त पुल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

93. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''ऑडिट पूरा नहीं करने वाले अंकेक्षक काली सूची में जायेगे'' के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के मद में 15,000 करोड़ की राशि का उपभोगिता प्रमाण-पत्र एवं डी0सी0 विपत्र अभीतक लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण ससमय अंकेक्षण नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं दोषी विपत्र के समायोजन हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश देना

94. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)-क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने पत्रांक 5प/ष0 रा0वि0आ0-11-01/2022/45/स्वी/प0रा0, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 द्वारा राज्य के सभी पंचायत समितियों के लिये अनुदान मद में कुल 5 अरब 33 करोड़ राशि की स्वीकृति देते हुये सभी प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया तथा इस राशि के उपयोग के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन देने का जिक्र किया गया है, जबकि 5 अरब 33 करोड़ की राशि पंचायत समितियों के उपयोग में नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत समितियों को अनुदान राशि खर्च के दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होने से पंचायत समिति संसाधन केन्द्रों का निर्माण शुरू नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार षष्टम वित्त आयोग अनुदान मद की राशि खर्च करने संबंधी दिशा-निर्देश पंचायत समिति को जारी करने तथा विलम्ब का कारण बताने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) पंचायत समिति संसाधन केन्द्रों के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग से प्रखंड मुख्यालय में भूमि उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त हो गई है । अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) उपरोक्त कॉलम 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

पटना :
दिनांक 5 अप्रील, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 115(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550